

दुर्ग में वाद-मुक्त ग्रामीण भारत की पहल, पांच दिन का कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण आज से

गांवों में अदालत पहुंचने से पहले विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान पर दिया जाएगा ध्यान

सिटी रिपोर्टर | दुर्ग

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-बड़े विवादों के न्यायालय पहुंचने से पहले ही आपसी संवाद और सहमति से समाधान निकालने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग शनिवार से पांच दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। यह प्रशिक्षण 25 से 29 जुलाई तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार सुबह 8:45 बजे होगा।

यह पहल सर्वोच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी Community Mediation



Towards a Litigation-Free Rural India' स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर-2026 के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य वाद से समाधान, मध्यस्थता से सम्मान और सौहार्द से सशक्त समाज का निर्माण की अवधारणा को जमीन पर उतारना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने बताया कि अभियान के तहत

जिले के घुघसीडीह, ननकट्टी, अरसनारा, निरुम और कुथरेल गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों से चुने गए 15 कम्युनिटी मीडिएटर्स प्रशिक्षण में भाग लेंगे। उन्हें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता की प्रक्रिया, व्यवहारिक पहलुओं और विवाद समाधान के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में

पारिवारिक, सामाजिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालय जाने से पहले ही आपसी संवाद, सहमति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समाधान करना है। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मल्टी सेक्टोरियल एप्रोच अपनाई है। इसके तहत राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा पशु चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ जिले के सभी विधि महाविद्यालयों के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा पैरालीगल वालंटियर्स, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी है।

Legal literacy camp held at Kuthrel

■ **Staff Reporter**

DURG, July 24

A LEGAL literacy camp focusing on community mediation was organised in village Kuthrel under the joint auspices of the District Legal Services Authority (DLSA), Durg, and the District Administration, Durg. The event was marked by active co-ordination among several administrative departments.

The camp aimed to spread awareness that social, family, and community disputes do not solely rely on lengthy court procedures.

Instead, they can be resolved amicably through community mediation, a process where there are no winners or losers, and solutions are reached by respecting the interests and concerns of all parties involved. During the session, officials from various departments briefed villagers on their respective public welfare schemes, legal rights, and social



Villagers present in the camp.

responsibilities, reflecting a strong multi-departmental commitment to public welfare.

The successful execution of the program was specially facilitated by Umesh Kumar Bhagwatkar, Secretary of DLSA, Durg, whose guidance ensured effective multi-departmental participation and widespread public engagement.

The joint initiative by the DLSA

and the District Administration proved to be an inspiring and exemplary step towards strengthening social harmony, legal awareness, and alternative dispute resolution through community participation. Through the camp, the message was given to the villagers to ensure peaceful resolution of their disputes at local level with mutual consent.